

राशन कार्ड रद्द कराने तथा निरस्तीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु जरूरी दस्तावेज

समय सीमा 1 दिन

- 1 आवेदन पत्र
- 2 मूल राशन कार्ड
- 3 डिपोधारक अपने इन्द्राज रजिस्टर से नाम काट कर हस्ताक्षर व मोहर सहित रिपोर्ट करेगा
- 4 आवेदन पत्र का मुल्य 1 रूप्या

सभी आवेदन पत्र निरीक्षक (खाद्य एवं पूर्ति विभाग ) के द्वारा ई-दिशा सेंटर से एकत्रित किए जायेंगे और फीस विभाग के खाते में जमा कर दी जाएगी